फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री मनीष पुत्र श्री भंवरलालजी जाति विश्नोई निवासी खेडी ढाणी, तहसील पिपाड जिला जोधपुर हाल वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट**

मुकदमा नं. 35 वर्ष **2021**

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.11.2021	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही के सी. आर. नं. 167 दिनांक 04.10.2021 में उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का महिन्द्रा कैब पिक अप नम्बर आरजे 38 जीए 0758 पकडा गया हैं। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें। प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद दिनांक 26.10.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 04.10.2021 को वक्त 6.00 पी.एम. पर श्री मदनसिंह चौहान उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी वृत सिरोही को माया पण्डित उ.नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम ने जरिए दूरभाष के सूचना दी कि मन थानाधिकारी मय जाब्ता माफिक ईमेल पीसीआर के नाकाबंदी हेतु रवाना होकर थाने के सामने नेशनल हाईवे 62 पर नाकाबंदी कर वाहनों की चैकिंग के दौरान एक बंद बॉडी पिकअप को रूकवाया गया, एवं चालक से पूछताछ करने पर पिकअप गाडी के अन्दर ड्रमों में डीजल भरा हुआ है एवं परमिट के बारे में पूछने पर ड्राईवर के पास किसी भी प्रकार का परमिट होना नहीं बताया, जिससे यह प्रतीत होता है कि ... अवैध डीजल भरा हुआ है, जो ग्राहकों को बेचने के लिए लेकर जा रहा है। उक्त सूचना पर श्री मदनसिंह ... उपअधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी वृत सिरोही मय जाब्ता के पहुंचे तो वहां पर नाकाबंदी ... उनके पास में एक बंद बॉडी पिकअप गाडी नम्बर आरजे 38 जीए 0758 खडी मिली जिसके बॉडी के पीछे दो फन्टे लगे हुए थे।	

जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त वाहन की तलाशी लिए जाने की कार्यवाही में गाडी के पीछे भरे 04 ड्रम आसमानी रंग के व 01 ड्रम हरे रंग का एवं 01 ड्रम काला रंग का रखा हुआ था। उपरोक्त ड्रमों के ढक्कन खोलकर देखने पर तरल पदार्थ डीजल भरा हुआ पाया गया। वाहन के चालक श्री मनीष विश्नोई पुत्र श्री भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी खेडी की ढाणी सालवा पुलिस थाना डंगियावास जिला जोधपुर से उक्त ड्रमों के बारे में पूछताछ की तो उसने ड्रमों में डीजल भरा हुआ होना बताया। उक्त वाहन में प्रत्येक ड्रम में 200–200 लीटर डीजल कुल 1200 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। उक्त डीजल परिवहन के बारे में चालक श्री मनीष से अनुज्ञापत्र व बिल इत्यादि के बारे में पूछा तो उसने अपने पास किसी भी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। उक्त डीजल को हाईवे होटलों पर खडे टेंकरों से सस्ते भाव में खरीदकर तथा आगे ग्राहकों को उच्च दामें में बेचने के लिए शिवगंज की ओर लेकर जाना बताया। श्री मनीष द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से डीजल को बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप परिवहन करने से अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्ल्घन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण डीजल के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का ड्राईवर श्री मनीष पुत्र श्री भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी खेडी ढाणी तहसील पिपाड जोधपुर, केवल मात्र वाहन का एक मात्र स्वामी है। वाहने के थाने में पडे रहने से उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान होगा। पुलिस द्वारा वाहन से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है ।

इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 ... decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminal Procedure, 1973- Sec. 451/457 - Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denied release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः वाहन का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय डीजल को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

ऐसी स्थिति में वाहन को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस सिरोही द्वारा थाना पालडी एम के मुकदमा संख्या 167 दिनांक 04.10.2021 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में महिन्द्रा पिकअप नम्बर संख्या आरजे 38 जीए 0758 में डीजल 1200 लीटर को कब्जे सरकार लिया गया है । वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम सिरोही के एफ आई आर क्रमांक 167 दिनांक 04.10.2021 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा महिन्द्रा पिकअप संख्या आरजे 38 जीए 0758 में 1200 लीटर डीजल चोरी करते हुये पाये जाने पर डीजल व वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अुनसन्धान जारी है। वाहन को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना नही पाया जाता है । ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है जिससे वाहन मालिक को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है ।

उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.) ... प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 ... decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminal Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied ... 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16.17.57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 01,50,000/— की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाते है।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर वाहन सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम सिरोही को भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

12.11.2021	माफिक आदेश प्रार्थी श्री मनीष विश्नोई पुत्र श्री भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी खेडी ढाणी तहसील पिपाड जिला जोधपुर हाल वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही द्वारा सुपुर्दगीनामा एवं श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री लालाराम जाति विश्नोई निवासी पुर तहसील सांचौर जिला जालोर द्वारा जमानतनामा हाजिर अदालत होकर प्रस्तुत किया । महिन्द्रा पिकअप वाहन नम्बर आरजे 38 जीए 0758 की जमानत एवं सुपुर्दगीनामा रूपये 1,50,000/– (अक्षरे रू. एक लाख पचास हजार रूपए) स्वीकार कर तस्दीक किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम वाहन के पंजीकृत स्वामी को वाहन सुपर्द कर रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय में पेश करें। (भगवती प्रसाद) **जिला कलेक्टर, सिरोही**

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner